न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–5, सासाराम, रोहतास
शेर अली उर्फ मोबिन कुरैशी बनाम बिहार सरकार
ए.बी.पी. संख्या–586 / 2026, अमझोर थाना कांड संख्या–23 / 2026

17.04.2026 अग्रिम जमानत आवेदन, दिनांक–11.03.2026, आवेदक **शेर अली उर्फ मोबिन कुरैशी** जो अमझोर थाना संख्या–23 / 2026 में गिरफ्तारी के भय से धारा–115(2), 126(2), 127(2), 109(1), 329(4), 191(2), 190, 74, 303(2), 351(2), 352 बी.एन.एस के अंतर्गत अग्रिम जमानत आवेदन उसके विद्वान अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार ने दाखिल किए हैं। सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को आपूर्ति की जा चुकी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना तथा अभिलेख का सम्यक अवलोकन किया।

सूचिका रजनी बाला के टंकित आवेदन के अनुसार संक्षेप में घटना यह है कि दिनांक–04.03.2026 को संध्या सूचिका के भतीजा गुमटी पर गुलाल लेने गया था, तो वहां पर इम्तियाज अंसारी द्वारा प्रेम प्रकाश पर टोन मारा गया, जिससे कुछ कहा सुनी हो गया, जिससे दोनों उत्तेजित होकर सूचिका के भतीजा को मारने लगे तो वह घर भागकर आ गया। जब घर के सदस्य बाहर गया तो इम्तेयाज अंसारी, अमन कुरैशी, शेर अली, समीर, अमन, शेरू कुरैशी एवं कुछ असामाजिक तत्व एकजुट होकर जान मारने की नियत से लाठी–डंडा एवं धारदार हथियार से सूचिका के घर में घुसकर हमला कर दिया तथा सभी लोग लाठी–डंडा, मुक्का–फैट से मारने लगा। इसी बीच इम्तियाज अंसारी शेर अली सूचिका के बेटे युवराज कुमार और भतीजा प्रेम प्रकाश बेहोश हो गया। जब सूचिका बीच बचाव करने गयी तो मो0 समीर ने ब्लाउज फाड़कर अशलील हरकत करते हुए गले में पड़े मंगलसुत्र को छीन लिया। धक्का–मुक्की में सूचिका गिरकर बेहोश हो गयी। सूचिका के भतीजा को चिल्लाने पर आसपास के लोगों को जुटता देख जान मारने की धमकी देते हुए सभी लोग भाग गए। सूचना पाकर घर के सदस्य ईलाज हेतु स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र तिलौथू ले गए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। इस मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। इस मामले की सभी धाराएं जमानतीय है सिवाय बी0एन0एस0 की धारा–109, 74, 303(2) के। आवेदक के विरूद्व कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस वाद का पलटावाद मुकदमा अमझोर थाना कांड सं0–24 / 2026 के अंतर्गत दर्ज है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि होली के त्योहार के अवसर पर दो समुदाय के व्यक्तियों के बीच कुछ मामूली विवाद हुआ था। बी0एन0एस0 की धारा–109 और धारा–303 आवेदक के विरूद्व बनता प्रतीत नहीं होता है। बी0एन0एस0एस0 की धारा–482(2) के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। आवेदक माननीय न्यायालय की संतुष्टि के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

दोनों पक्षों को सुना अभिलेख का अवलोकन किया एवं अभिलेख पर उपलब्ध केस दैनिकी एवं जख्मी का जख्म रिपोर्ट के परीशिलन उपरांत न्यायायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदक अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है, बल्कि ऐसे मामलों में आवेदक को नियमित जमानत प्राप्त करना सही है। केस दैनिकी के पारा नं0–3 में वादिनी का बयान है एवं पारा–8, 9 में स्वतंत्र साक्षियों का बयान है, सभी ने घटना का समर्थन करते हुए कहा है कि होली के समय आवेदक शेर अली उर्फ मुबैन कुरैशी तथा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर जान मारने की नियत से लाठी–डंडा एवं धारदार हथियार के साथ सूचक का बेटा युवराज कुमार एवं भतीजा प्रेम प्रकाश को जमीन पर पटककर जान मारने की नियत से मारपीट किया। केस दैनिकी के पारा नं0–54 में जख्मी का रिपोर्ट है एवं अन्य जख्मी युवराज कुमार, रजनी बाला एवं प्रेम प्रकाश का जख्म रिपोर्ट केस दैनिकी के साथ संलग्न है।

इस केस की सूचिका रजनी बाला को अभियुक्तगण के द्वारा ब्लाउज फाड़कर अशलील हरकत करते हुए गले में पड़े मंगल सुत्र को छीन लिया। ऐसे मामलों में आवेदक अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है। आवेदक नियमित जमानत का हकदार है। अतः आवेदक का अग्रिम जामानत आवेदन दिनांक–11.03.2026 **निष्पादित** करते हुए, आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक निचली न्यायालय में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत की याचना करें, साथ ही साथ निचली न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायायलय के आदेश से प्रभावित हुए बिना आवेदक के आत्मसमर्पण करने एवं नियमित जामनत की याचना करने पर मुकदमें के गुण–दोष के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित करेंगे।

कार्यालय आदेश की प्रति श्री प्रवीण कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी डिहरी ऑन सॉन न्यायालय को भेजें।

लेखापित
Sd/-
(रवीन्द्र कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–5
सासाराम, रोहतास।
दिनांक 17.04.2026

Date of Judgment/Order	17.04.2026
Date of Reserving Judgment/Order	17.04.2026
Uploading Date	25.04.2026
Uploaded by	Steno